

# कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं० 19 / 1-13(13) देहरादून दिनांक, 21, दिसम्बर, 2018


## पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक क-1308/1-3(3) दिनांक 17-12-2018 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 18-12-2018 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के कार्मिकों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 47,600-1,51,100 लेवल-08 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री गिरीश चन्द्र शर्मा	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
2	श्री खीमानन्द पाण्डे	प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, हल्द्वानी	अ०प्र०व०सं० अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, हल्द्वानी
3	श्री मोहन चन्द्र सनवाल	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल	प्र०व० नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
4	श्री रामप्रसाद डिमरी	अ०प्र०व०सं०, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, देहरादून	अ०प्र०व०सं० नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, देहरादून
5	श्री कुमुद चन्द्र उपाध्याय	व०सं०, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी	व०सं०, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी
6	श्री हरीश चन्द्र जोशी	प्र०व० पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	प्र०व० चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
7	श्री जीवन चन्द्र उपाध्याय	मु०व०सं०, सतकता एवं विधि प्रकोष्ठ, हल्द्वानी	मु०व०सं० वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी
8	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	प्र०व० अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	प्र०व० भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत

1. पदोन्नत अधिकारियों द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17-02-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।


  
(जय राज) 21/12/18

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं० 19 (1)/1-13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
2. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

  
(जय राज) 21/12/18

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF



